



2026:AHC-LKO:5635-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट - सी सं. - 632/2026

मो. सुहैल खान

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग,
लखनऊ के माध्यम से एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: सद्दाम अहमद खान

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय सं. - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी

1. प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से अधिवक्ता श्री राजीव शुक्ला द्वारा दाखिल वकालतनामा अभिलेख पर लिया गया।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सद्दाम अहमद खान, राज्य प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के विद्वान स्थायी अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 5 के विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव शुक्ला को सुना गया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 की धारा 4 के अंतर्गत जारी सूचना दिनांक 06.12.2025 को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि उसने संबंधित भूमि को वैध बिक्री विलेख के माध्यम से खरीदा है और उसने किसी सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है, जैसा कि सूचना में आरोप लगाया गया है।
4. यदि ऐसा है, तो याचिकाकर्ता के लिए उचित मार्ग यही है कि वह उस प्राधिकारी के समक्ष अपना जवाब दाखिल करे जिसने दिनांक 06.12.2025 की सूचना जारी की है, या सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत औपचारिक कार्यवाही शुरू होने पर उचित समय पर प्रकरण का विरोध करे। हमें इस चरण पर हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता।
5. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन राय)

27 जनवरी 2026

अर्निमा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।